राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4 (58) ग्रावि/ग्रुप–3/नरेगा/2009-10 जयपुर, दिनांक 8 OCT 2009

जिला कलेक्टर्स एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः– संविदा अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों को मासिक प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि किसी भी संविदा कार्मिक के साथ प्रथम बार संविदा अनुबंध करने पर जिला स्तर/ पंचायत समिति स्तर पर न्यूनतम एक सप्ताह का सघन प्रशिक्षण दिये जाने के उपरांत ही संविदा कार्मिक को राजकीय कार्य निर्वहन का उत्तरदायित्व दिया जावे।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में एक बार अवकाश के दिन अथवा गुरुवार को जिला स्तर पर समस्त जेटीएज को अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/ अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी)/ सहायक अभियंता, (नरेगा) द्वारा पूर्ण दिवस का सघन प्रशिक्षण भी दिया जावें। प्रशिक्षण के दौरान वर्किंग लंच रखा जावें।

इसी प्रकार जिले के समस्त लेखा सहायकों को भी प्रति माह एक दिन परियोजना अधिकारी(लेखा), ग्रामीण विकास विभाग/ कोषाधिकारी/ जिला कलेक्टेक्ट के सहायक लेखाधिकारी द्वारा लेखा प्रकिया, वित्तीय सावधानियां, ऑडिट, अग्रिम दी गई राशि के विरूद्ध व्यय राशि का मासिक मिलान आदि का गहन प्रशिक्षण दिया जावें। प्रति दो माह पश्चात तीसरे माह में यह प्रशिक्षण दो दिवस के रखे जावें।

मैनेजर एम.आई.एस. भी इसी अनुसार प्रति माह ब्लाक के मैनेजर एम.आई.एस. एवं बड़ी ग्राम पंचायतों के डाटा एन्ट्री आपरेटर्स को माह में एक बार प्रशिक्षित करें।

उक्त प्रशिक्षणों के लिए आपके स्तर से आदेश जारी कर प्रतिलिपि पृष्ठाकिंत की जावें।

भवदीय,

6/x

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त,ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त, अति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

2– रक्षित पत्रावली।

8/10/09

परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Manish Sharma\uo note cmo.doc